बैंक आफ राजस्थान द्वारा श्री संजय गांधी को थैली भेंट करना

3342. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा श्री संजय गांधी की जयपुर यात्रा के दौरान उनको 70,000 रुपए की थैली भेंट करना और युवा कांग्रेस की पत्रिका के लिए विज्ञापनों के रूप में लाखों रुपए का अंशदान देना सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि बैंक आफ राजस्थान द्वारा संजय गांधी को थैली भेंट करने से सम्बन्धित आरोप की बैंक के रिकार्ड में पाई गई सूचना से पुष्टि नहीं होती। रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि यद्यपि बैंक अधिकतर सांस्कृतिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों आदि द्वारा प्रकाशित स्मारिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए छोटी राशियां देता रहा है तथापि यह आरोप कि बैंक ने युवक कांग्रेस की पत्रिकाओं के लिए विज्ञापनों के रूप में लाखों रुपयों का अंशदान दिया है, बैंक के रिकार्ड से सिद्ध नहीं होता।

राजस्थान बैंक में श्री राम विलास गुप्ता की नियुक्ति

3343. **श्री जगदीश माथुर प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम विलास गुप्ता को, जिसे शिवपुर न्यायालय ने एक धोखा धड़ी के मामले में दोषी पाया था, बैंक के नियमों का उल्लघंन करके बैंक आफ राजस्थान की सेवा में लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : बैंक आफ राजस्थान गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित एक बैंक है। गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित बैंकों में होने वाली नियुक्तियों का मामला पूर्णत: बैंक के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

2. अलबत्ता, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि वह श्री राम विलास गुप्ता की नियुक्ति करते समय उनके पूर्व परिचय से अनभिज्ञ था। दिसम्बर, 1975 में, बैंक को पता चला कि श्री राम विलास गुप्ता 3 सितम्बर, 1964 से पहले नगर पालिका शिवपुर कलां, मध्य प्रदेश में नाकेदार के रूप में कार्य करते रहे हैं। उन पर 118.80 रुपये की राशि की हेरा-फेरी का आरोप था तथा उन्हें नौकरी से निलम्बित कर दिया गया था। बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत उन पर फौजदारी न्यायालय में अभियोग चलाया गया। किन्तु वे इस आरोप से बरी कर दिये गये।

3. इसके बाद, श्री राम विलास गुप्ता ने इस घोषणा के लिये नगर पालिका के विरुद्ध दीवानी मुकदमा दायर किया कि वह नगर पालिका की नौकरी में निरन्तर रहे हैं तथा मजदूरी और अन्य लाभों के हकदार हैं। फौजदारी न्यायालय ने यह फैसला दिया कि नगर पालिका ने इस कर्मचारी को पूर्णत: वैध रूप से बर्खास्त किया है और उसके द्वारा दायर मुकदमा समय बाधित (टाइम बार्ड) है। श्री गुप्ता ने निचले न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जिला न्यायाधीश शिवपुर कलां के न्यायालय में अपील दायर की है कि जो कि विचाराधीन है। क्योंकि मामला न्यायालयाधीन है, बैंक ने सूचित किया है कि वे जब अपीली न्यायालय का फैसला प्राप्त होगा तो वह इस पर फिर से विचार करेगा।

बैंक आफ राजस्थान में श्री टी० सी जैन की नियुक्ति

3344. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री टी० सी० जैन को, जिन्हें राजस्थान

सरकार द्वारा सेवा से अनिवार्यत: निवृत्त कर दिया गया था, किन परिस्थितियों में बैंक आफ राजस्थान में उच्चतम वेतन पर नियुक्त करना पड़ा था ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : बैंक आफ राजस्थान गैर-सरकारी क्षेत्र का बैंक है । गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकारियों की नियुक्ति करना, संबंधित बैंक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाला प्रशासनिक मामला है । बैंक आफ राजस्थान ने रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि उन्हें ऐसे अधिकारी की आवश्यकता थी जिसे श्रमिक कानूनों और कार्मिक मामलो का अनुभव हो और उन्होंने श्री टी० सी० जैन को पहले संविदा पर 2 वर्ष के लिए और बाद में, निदेशक मंडल की स्वीकृति से, नियमित रूप से प्रबन्धक (कार्मिक) के पद पर नियुक्त किया । श्री जैन ने राज्य सरकार की स्वीकृति से बैंक में अपना कार्यभार संभाला और उनकी नियुक्ति में कुछ भी असामान्य या अनियमित नहीं था ।

Foreign Equity allowed to Sterling tea Companies under Fera

3345. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the sterling tea companies are allowed to keep 74 per cent equity in Indian Companies under the Foreign Exchange Regulations Act as against 40 per cent in case of other Companies;

(b) if so, the reason for this difference;

(c) what is the deadline being given to the sterling tea companies to reduce their equity to the extent of 74 per cent; and

(d) which are the sterling tea companies operating in the country and how many of them are expected to dilute their equity within the deadline date given?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). Under the Guidelines laid down for the administration of Section 29 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, foreign companies operating in India may be permitted to retain non-resident interest upto 74 or 51 or 40 per cent depending on the nature and character of the activities of the companies concerned. Tea companies have been permitted to retain non-resident interest upto 74 per cent because of the position occupied by tea in our exports.

(c) The time-limit for Indianisation expires towards the end of this year in most cases and in the first half of next year in other cases.

(d) Attention is invited to the details given in reply to Unstarred Question No. 5335 dated 29-7-1977. All the companies have submitted their Indianisation proposals and they are under consideration.

Setting up of an alternative Export Agency for Coir Goods

3346. SHRI B. K. NAIR: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether he is aware that a substantial percentage of the coir goods exported from Alleppey and the surrounding areas by licensed exporters is actually manufactured by small factory owners; and

(b) whether he will consider the setting up of an alternative exporting agency so as to ensure fair prices for the actual producers and reasonable wages for the workmen employed by them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Yes, Sir.